दयाल राम बनाम सरकार
मुकदमा संख्या:-03/61/2023
निर्णय दिनांक:-02.12.2025

सत्यमेव जयते

न्यायालय
उपखण्ड अधिकारी/सहायक कलेक्टर राजगढ जिला-अलवर

(पीठासीन अधिकारी सुश्री सीमा मीना आर.ए.एस.)

प्रार्थना पत्र संख्या :- 03/61/2023 ऑन लाईन नम्बर:-2023/342 प्रवेश तिथि:-07.07.2023

1. दयाल राम पुत्र प्रताप राम जाति गुर्जर आयु 74 वर्ष निवासी ग्राम भिलावट तहसील किशनगढ जिला अजमेर। ....प्रार्थी

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये जिला कलक्टर महोदय अलवर राज0 ......अप्रार्थी
2. तहसीलदार टहला जिला अलवर

प्रार्थना पत्र धारा 136 एल0आर0एक्ट0 1956
उपस्थित :1. श्री मनीश गुप्ता प्रार्थी

दिनांक 02.12.2025

—:निर्णय:—

1 आज यह पत्रावली वास्ते निर्णय पेश हुई। प्रकरण का सूक्ष्म वृतान्त इस प्रकार से है कि प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 राज0 भू-राजस्व अधिनियम बाबत पेश कर निवेदन किया कि प्रार्थी की आराजी खाता संख्या 165 आराजी खसरा 237/8.85 वाके ग्राम बलदेवगढ तहसील टहला जिला अलवर में स्थित है। उक्त आराजी प्रार्थी की कब्जे काश्त की खातेदारी आराजी है। राजस्व रिकार्ड में प्रार्थी नाम **दयाल राम पुत्र प्रताप राम** की जगह सहवन से **रामदयाल पुत्र बिरदू** दर्ज कर दिया जबकि प्रार्थी व उसके पिता का नाम अन्य रिकार्ड में **दयाल राम पुत्र प्रताप राम** दर्ज रिकार्ड है। उक्त गलत इन्द्राज से प्रार्थी के खातेदारी अधिकार नकारात्मक रूप से प्रभावित हो रहे है। जिसे न्यायहित में दुरूस्त किया जाना अति आवश्यक है। अन्त में प्रार्थना पत्र प्रार्थी स्वीकार किया जाकर प्रार्थी सही नाम **दयाल राम पुत्र प्रताप राम** दुरूस्त किये जाने का निवेदन किया।

2. प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर तहसीलदार टहला से रिपोर्ट तलब की गई। तहसीलदार टहला के पत्रांक क्रमांक/भू.अ./2024/1505 दिनांक 13.05.2025 की मौका जॉच रिपोर्ट प्राप्त हुई जो कि शामिल पत्रावली है। लेकिन तहसीलदार टहला ने अवगत कराया गया की प्रार्थी की सही जानकारी तहसीलदार रूपनगढ जिला अजमेर से कराया जाना न्यायाचीत है। हाजा न्यायालय के पत्रांक क्रमांक/कोर्ट/ रीडर/ 2024/348 दिनांक 28.08.2024 से तहसीलदार रूपनगढ जिला अजमेर को जॉच के लिए तहरीर जारी की गई। जिसकी अनुपालना में तहसील रूपनगढ की दिनांक 28.10.2025 की रिपोर्ट प्राप्त हुई जो शामील मिशल है। तहसीलदार रूपनगढ जिला अजमेर की रिपोर्ट से दयाल राम पुत्र प्रताप जाति गुर्जर व रामदयाल पुत्र बिरदू जाति गुर्जर निवासी भिलावट एक व्यक्ति नही होना साबित है।।

उपखण्ड अधिकारी, राजगढ़
जिला-अलवर

मुताबिक रिपोर्ट के अनुसार रामदयाल पुत्र बिरदु जाति गुर्जर निवासी भिलावट नाम से कोई भी व्यक्ति नही है। दयाल व बिरदू में पोता—दादा का रिश्ता है। तहसीलदार टहला की जॉच रिपोर्ट के अनुसार हाल रिकार्ड जमाबंदी में प्रार्थी का नाम **रामदयाल पुत्र बिरदू** दर्ज कर रखा है उसके स्थान पर प्रार्थी का नाम **दयाल राम पुत्र प्रताप** दुरूस्त किया जाना उचित प्रतीत नही होता है।

3. बहस वकील प्रार्थी सुनी गई। दौरान—ए—बहस वकील प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दौहराते हुये उल्लेख किया कि प्रार्थी की आराजी खाता संख्या 165 आराजी खसरा 237/8.85 वाके ग्राम बलदेवगढ तहसील टहला जिला अलवर के राजस्व रिकार्ड में प्रार्थी **दयाल राम पुत्र प्रताप राम** की जगह सहवन से **रामदयाल पुत्र बिरदू** दर्ज कर दिया। जिसे दुरूस्त करने का निवेदन किया। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजत तहसीलदार टहला की रिपोर्ट दिनांक 13.05.2023 व तहसीलदार रूपनगढ जिला अजमेर 28.10.2025 का अवलोकन किया। उक्तानुसार प्रस्तुत दस्तावेजात व तहसीलदार टहला की जॉच रिपोर्ट से भी प्रार्थना पत्र प्रार्थी तथ्यो के सही होने की पूर्णरूप से पुष्टि नही होती है, क्योकि रामदयाल पुत्र बिरदू नाम का व्यक्ति वाके ग्राम भिलवाट तहसील रूपनगढ जिला अजमेर में कोई भी नही है। प्रार्थना पत्र प्रार्थी अस्वीकार योग्य पाया जाता है। अतः

आदेश है कि

प्रार्थना पत्र प्रार्थी अन्तर्गत धारा 136 राजस्थान भू—राजस्व अधिनियम 1956 आराजी खाता संख्या 165 आराजी खसरा 237/8.85 वाके ग्राम बलदेवगढ तहसील टहला जिला अलवर को साबित नही होने के कारण अस्वीकार/खारीज किया जाता है।

निर्णय आज दिनांक 02.12.2025 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया। पत्रावली नम्बर से कम होकर बाद पुर्ति जमा लेख भण्डार हो।

(सुश्री सीमा मीना आर.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी राजगढ
जिला—अलवर

उपखण्ड अधिकारी राजगढ़ जिला-अलवर
सत्यमेव जयते

राजगढ़, जिला - अलवर (राज.)
सत्यमेव जयते